



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



संख्या: सीबीएसई/समन्वय/एसआरसी-2021/ई-93618/2024

दिनांक: 27.02.2024

सेवा में,
सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के
प्रमुख/प्रधानाचार्य

विषय: स्कूल परिणाम समिति (एसआरसी) 2021 के सदस्यों के शेष दावों का ऑफ़लाइन भुगतान के संबंध में।

महोदया/महोदय,

बोर्ड परीक्षा 2021 के परिणाम, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिवत अनुमोदित टैब्युलेटेड/ सारणीकरण नीति के अनुसार घोषित किए गए थे। इस सारणीकरण नीति के नियमों और शर्तों के अनुसार, सभी उम्मीदवारों का परिणाम डेटा, स्कूलों द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित उनकी स्कूल रिजल्ट कमेटी/स्कूल परिणाम समितियों (एसआरसी) की सिफारिशों पर पोर्टल पर अपलोड किया गया था।

स्कूल रिजल्ट कमेटी (एसआरसी) के सदस्यों को पारिश्रमिक का भुगतान एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) के माध्यम से किया गया था, हालांकि अब यह तथ्य ध्यान में आया है कि स्कूल रिजल्ट कमेटी/स्कूल परिणाम समिति, 2021 के कुछ सदस्यों को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हुआ है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल परिणाम समिति के उन सदस्यों को 31 मार्च, 2024 तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में अपने दावे प्रस्तुत करने का एक अंतिम अवसर दिया जाएगा जिनका भुगतान आज की तारीख में बकाया है/भुगतान नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2024 के बाद जमा किए गए दावों के लिए कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।

संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय डेटा से दावे (दावे) को सत्यापित करेगा और बकाया/भुगतान न किए गए दावों के निपटान के लिए ऑफ़लाइन मोड में भुगतान की प्रक्रिया को संचालित करेगा क्योंकि स्कूल परिणाम समिति 2021 (एसआरसी) के लिए आईपीएस पहले ही बंद कर दिया गया है।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के सभी स्कूल प्रमुख/प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि वे अपनी स्कूल परिणाम समिति 2021 के उन सदस्यों को जिन्हें अब तक पारिश्रमिक नहीं मिला है, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में 31 मार्च, 2024 तक दावे प्रस्तुत करने के लिए सूचित करें।

हस्ता/-

(डा. संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:-

1. वेब-प्रशासन, सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।